एपीडा में कानूनी सेवाओं के लिए ऐड्वोकट कानूनी फर्मों के पैनल के लिए/ आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। कृपया पूर्ण जानकारी हेतु वेबसाइट https://apeda.gov.in/ पर जाएं।

एपीडा द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, विभिन्न अन्य फोरम आदि के समक्ष एपीडा के मामलों को हैंडल करने के लिए संविदात्मक आधार पर पात्र एड्वोकेट/कानूनी फर्मों को पैनल में रखने पर विचार किया जा रहा है:-

1. व्यापार संबंधी मुद्दे
2. स्थापना/सेवा मामलों से संबंधित मुद्दे
3. संविदात्मक मामलों से संबंधित मुद्दे
4. वित्तीय मामलों से संबंधित मुद्दे

उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी मामलों को हैंडल करने हेतु एपीडा द्वारा पैनल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट बार काउंसिल के साथ पंजीकृत पात्र एड्वोकेट/कानूनी फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता, अनुभव, शुल्क की अनुसूची, अन्य नियम एवं शर्तों और आवेदन प्रारूप का विवरण इस नोटिस में निहित है।

एड्वोकेट/कानूनी फर्म जो एपीडा के मौजूदा पैनल में हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा क्योंकि वे नए पैनल को अंतिम रूप देने के बाद एपीडा के पैनल में नहीं रहेंगे, लेकिन अगले निर्देश तक उन्हें पहले से आवंटित मौजूदा/चिह्नित मामलों को हैंडल करना होगा।

आवेदन के लिफाफे को विधिवत हस्ताक्षरित संलग्नकों के साथ इस पते पर - **महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक), एपीडा, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, खेल गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016** के कार्यालय में 25 फरवरी, 2022 को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक डाक द्वारा भेजा या जमा किया जा सकता है।

लिफाफे पर **"एड्वोकेट/कानूनी फर्म के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** लिखें। अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: केवल आवेदन करने से आवेदकों को एपीडा के पैनल में शामिल होने का कोई अधिकार/आश्वासन नहीं मिलता है।

विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और फोरम आदि के समक्ष एपीडा का प्रतिनिधित्व करने हेतु एड्वोकेट/कानूनी फर्मों के पैनल में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और फोरम के समक्ष एपीडा का प्रतिनिधित्व करने और उनकी सहायता करने के लिए एड्वोकेट/कानून फर्मों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और मामले को नियंत्रित करने और ऐसे व्यक्तियों को शुल्क/देय पारिश्रमिक के भुगतान के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं।

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य हेतु, उपयोग की जाने वाली शर्तों के निम्नलिखित अभिप्राय होंगे:

(i) "एड्वोकेट" से अभिप्राय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिवक्ता की किसी भी भूमिका में शामिल होना है।

(ii) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय अध्यक्ष एपीडा द्वारा नामित अध्यक्ष एपीडा या कोई अन्य अधिकारी होगा।

(iii) "न्यायालय" से अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायाधिकरण, आयोग, प्राधिकरण आदि सहित सभी कानूनी न्यायालय है।

(iv) "प्रभावी सुनवाई" से अभिप्राय ऐसी सुनवाई से है जिसमें किसी मामले में शामिल एक या दोनों पक्षों को न्यायालयों द्वारा सुना जाता है/किसी भी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क, इग्ज़ैमनैशन-इन-चीफ, क्रॉस इग्ज़ैमनैशन आयोजित किया जाता है, मुद्दों/सूचनाओं को फ्रेम किया जाता है।

(v) "गैर-प्रभावी सुनवाई" से अभिप्राय उन सभी सुनवाई से होगा जो प्रभावी सुनवाई की उपरोक्त परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

(vi) "समान मामलों" से अभिप्राय दो या दो से अधिक मामले होंगे जिनमें कानून या तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं।

1) पात्रता मानदण्ड

(i) आवेदक एड्वोकेट/कानूनी फर्म होना चाहिए।

(ii) पैनल में शामिल किए जाने वाले आवेदक को किसी भी जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या अन्य विभिन्न फोरम के समक्ष मामले को हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए।

(iii) एड्वोकेट या कानूनी फर्म में सहयोगी/साझेदार के रूप में आवेदक को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(iv) आवेदक को कम से कम एक केंद्र/राज्य सरकार/मंत्रालय/विभाग/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के पैनल में होना चाहिए।

(v) आवेदक को सभी प्रकार के कानूनों विशेष रूप से व्यापार संबंधी, सेवा मामले, या संविदात्मक/वित्तीय मामलों से परिचित होना चाहिए।

(vi) आवेदक द्वारा पर्याप्त संख्या में मामलों को हैंडल किया जाए।

(vii) आवेदक एपीडा के खिलाफ किसी भी मामले में पेश न हुआ हो।

(viii) कोई न्यायालय विशिष्ट पैनल नहीं होगा। जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों के लिए कम से कम 7 साल के अनुभव और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 15 साल से अधिक के अनुभव वाले व्यक्तिगत एड्वोकेट के पैनल में शामिल होने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ पात्र मामलों में अपने विवेक से उपरोक्त शर्तों में रियायत देने का अधिकार है।

2) एम्पेनलमेंट की अवधि

चुने गए एड्वोकेट/कानूनी फर्मों को शुरू में दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पैनल में शामिल किया जाएगा। पैनल में शामिल एड्वोकेट के प्रदर्शन की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। एड्वोकेट/कानूनी फर्म के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर एपीडा के पास आगे की अवधि के लिए पैनल के नवीनीकरण पर विचार करने का पूर्ण विवेक होगा। एपीडा के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी एड्वोकेट/कानूनी फर्म के पैनल को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

3) सामान्य नियम और शर्तें

(i) एड्वोकेट/कानूनी फर्म को केवल उन्हीं मामलों में नियुक्त किया जाएगा जहां एपीडा एक आवश्यक पक्ष है।

(ii) प्रोफॉर्मा मामले: - जहां एपीडा किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में एक प्रो फोर्मा पक्ष है, वहां एपीडा के अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण मामलों में आवश्यक समझे जाने पर एड्वोकेट को नियुक्त किया जा सकता है।

(iii) एड्वोकेट/कानूनी फर्म को किसी विशिष्ट न्यायालय के लिए आवश्यक रूप से पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा और वह उन न्यायालयों को सौंपे गए कार्य को स्वीकार करेगा जिनके लिए

उन्हें मूल रूप से ऐसे रेफरल के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तों के आधार पर नामित किया गया है और वह बिना किसी उचित कारण के किसी भी कार्य को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगा।

(iv) किसी भी एड्वोकेट/कानूनी फर्म द्वारा बिना किसी उचित कारण के (जैसे हितों के टकराव के आधार पर) किसी भी काम को स्वीकार करने से इनकार करने पर ऐसे एड्वोकेट को पैनल से हटाया जा सकता है।

(v) पैनल में शामिल एड्वोकेट/कानूनी फर्म मामलों को प्रत्यायोजित नहीं करेंगे बल्कि स्वयं उसका निपटान करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मामले में नियुक्त नामित वरिष्ठ एड्वोकेट के साथ-साथ एपीडा के अधिकारियों के साथ समन्वय और काम करना पड़ सकता है।

(vi) इन दिशानिर्देशों के तहत पैनल में शामिल एड्वोकेट किसी भी उद्देश्य के लिए एपीडा के कर्मचारी/स्टाफ सदस्य/अधिकारी नहीं होंगे और इसलिए, वे कर्मचारियों को उपलब्ध किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

(vii) पैनल में शामिल एड्वोकेट/कानूनी फर्म एपीडा के मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे, जैसा कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अंतर्गत आवश्यक है।

(viii) पैनल में शामिल एड्वोकेट/कानूनी फर्म एपीडा की लिखित अनुमति के बिना अपने व्यवसाय के संबंध में या अन्यथा एपीडा के नाम, चिह्न या आधिकारिक मुहर, या एपीडा के नाम के किसी भी संक्षेप का उपयोग नहीं करेगा।

(ix) एड्वोकेट समय-समय पर एपीडा द्वारा निर्धारित पैनल के नियमों और शर्तों को स्वीकार करेंगे।

(x) यह दिशानिर्देशा पैनल की आवश्यकता को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के नामित वरिष्ठ एड्वोकेट पर भी लागू होंगे।

(xi) कानूनी फर्मों के पैनल में शामिल होने के मामले में, व्यक्तिगत एड्वोकेट के पैनल में शामिल होने के सभी नियम और शर्तें उन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(xii) यदि आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए, तो भारत के महान्यायवादी/भारत के सॉलिसिटर-जनरल/एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/महाधिवक्ता/नामित वरिष्ठ एड्वोकेट को एपीडा की ओर से किसी विशेष मामले की तात्कालिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामला दर मामला आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ एड्वोकेट आदि की नियुक्ति और ऐसे मामलों में उन्हें दिये जाने वाले भुगतान को प्रत्येक मामले के गुण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और तय किया जा सकता है।

(xiii) एपीडा द्वारा अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले प्राप्त सभी आवेदनों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की जाएगी कि क्या वे बाद में होने वाले संशोधन, यदि कोई हैं सहित पात्रता मानदंड या इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करते हों, और क्या आवेदन सभी तरह से पूर्ण हैं।

(xiv) जांच करने पर, यदि कोई भी आवेदन क्रम में नहीं पाया जाता है या जो प्रासंगिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xv) एपीडा द्वारा यदि यह आवश्यक समझा जाए तो इस नोटिस की किसी भी आवश्यकता में ढील देने/छोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

(xvi) एपीडा द्वारा बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन प्रक्रिया से कोई संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

(xvii) विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आवेदक की ओर से किए गए किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(xviii) एपीडा डाक में देरी या माह के बीच होने वाले किसी अवकाश सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर आवेदन प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

4) शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें

(i) एड्वोकेट को दिया जाने वाला शुल्क **अनुबंध "ख" में संलग्न** शुल्क की **अनुसूची** या विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित अनुसार तय की जाएगी। (**टिप्पणी**:- किसी भी पैनल एड्वोकेट/कानूनी फर्म को कोई प्रतिधारण शुल्क नहीं दिया जाएगा)

(ii) शुल्क अनुसूची, हालांकि, एपीडा द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संशोधित की जा सकती है।

(iii) एड्वोकेट/कानूनी फर्म को उस मामले के परिणाम के संबंध में कानूनी राय प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां उक्त एड्वोकेट/कानूनी फर्म ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया है।

(iv) सक्षम प्राधिकारी को विशेष मामलों में एड्वोकेट द्वारा मामले में किए गए प्रयासों और मामले के महत्व और श्रम को ध्यान में रखते हुए संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शुल्क से अधिक शुल्क के भुगतान को मंजूरी देने का अधिकार होगा। उनके पास एपीडा द्वारा शुल्क अनुसूची में इस संबंध में उचित संशोधन किए जाने तक अनुसूची में उल्लेख नहीं किए गए इवेंट के लिए शुल्क तय करने का भी अधिकार होगा। एपीडा द्वारा इस संबंध में देय शुल्क की मात्रा पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5) आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

एड्वोकेट/कानूनी फर्म को अनुबंध-"क" में दिए गए निर्धारित फोर्मेट में अपने आवेदनों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को जमा करना आवश्यक है:

(i) स्टेट बार काउंसिल के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र (कानूनी फर्म के मामले में भागीदारों/

सहयोगियों का)

(ii) हैंडल किए गए मामलों के विवरण के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र में अनुभव प्रमाणपत्र

(iii) आवेदक के पक्ष में अन्य प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा जारी किए गए एम्पेनल्मेंट पत्र की प्रतियां

(iv) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न

(v) कोई अन्य सहायक दस्तावेज

6) निजी अभ्यास और प्रतिबंध

(i) एक एड्वोकेट को निजी अभ्यास का अधिकार इस शर्त पर होगा, यदि उन अभ्यासों के द्वारा एपीडा के पैनलबद्ध एड्वोकेट के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में हस्तक्षेप न हो।

(ii) एड्वोकेट किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देगा या एपीडा के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी मामले को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह एपीडा के पैनल से उन्हें सीधे हटाने का कारण बन सकता है।

7) अयोग्यता

एड्वोकेट/कानूनी फर्म की अयोग्यता की परिभाषा निम्नलिखित में से होगी :

(i) पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन में गलत जानकारी देना;

(ii) एपीडा की पूर्व लिखित अनुमति के बिना एपीडा के मामले का संक्षिप्त विवरण किसी अन्य एड्वोकेट को देना;

(iii) बिना किसी पर्याप्त कारण और/या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना;

(iv) मांगे जाने पर संक्षिप्त विवरण नहीं लौटाना या मांगे जाने पर निरीक्षण की अनुमति देने से बचना या टालना।

(v) एपीडा की अनुमति के बिना शुल्क के लिए एपीडा के फंड्स का दुरुपयोग या निर्धारण करना।

(vi) एपीडा के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, डराना या गाली देना।

(vii) एपीडा से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी विरोधी पक्ष की ओर से अपने किसी सहयोगी या कनिष्ठ को उपस्थित करना।

(viii) ऐसा कार्य करना जो न्यायालय की अवमानना या पेशेवर कदाचार के समान हो;

(ix) किसी भी अपराध में एड्वोकेट का दोष सिद्ध होने के परिणामस्वरूप बार काउंसिल द्वारा गिरफ्तारी या नजरबंदी या रोक लगाए जाने की स्थिति;

(x) एपीडा के मामले से संबंधित सूचना विरोधी पक्षों या उनके एड्वोकेट या किसी तीसरे पक्ष को देना जिससे एपीडा के हितों को नुकसान होने की संभावना है;

(xi) एपीडा को मामले की कार्यवाही के संबंध में झूठी या भ्रामक जानकारी देना; तथा

(xii) बार-बार स्थगन की मांग करना या बिना पर्याप्त कारण के दूसरे पक्ष द्वारा किए गए स्थगन पर आपत्ति न करना;

एम्पेनल्मेंट एड्वोकेट/कानूनी फर्म की ओर से उपरोक्त में से किसी भी अयोग्यता के चलते रद्द हो जाएगा।

8) संदेह/कठिनाई

यदि इन दिशानिर्देशों के किसी भी खंड के कार्यान्वयन/व्याख्या के संबंध में कोई संदेह/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे अध्यक्ष, एपीडा के समक्ष रखा जाएगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एम्पेनल्मेंट के संबंध में या प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई विवाद, यदि कोई हों, केवल नई दिल्ली के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

9) अधिकारों में छूट

(i) एपीडा द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के एड्वोकेट/कानून फर्मों के पैनल के लिए किसी भी आवेदन/आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

(ii) एपीडा द्वारा समय-समय पर आवश्यकता और कार्य की मात्रा के आधार पर पैनल के आकार को निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाता है।

अनुबंध– "क"

आवेदन फॉर्म

क्र. सं.	**विवरण**	**ब्योरा**
1	एड्वोकेट/कानूनी फर्म का नाम (अधिकृत व्यक्ति के नाम के साथ)	
2	सक्रिय भागीदारों/सहयोगियों का नाम	
3	कार्यालय का पता	
4	संपर्क सं.	
5	ई-मेल आईडी	
6	नामांकन सं. और बार काउंसिल का नाम (प्रत्येक एड्वोकेट के नामांकन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
7	कानूनी फर्म के मामले में-- कानूनी फर्म की स्थापना/गठन की तिथि:(दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण के साथ)	
8	एड्वोकेट/फर्म का पैन नं.	
9	राष्ट्रीयता	
10	जीएसटी पंजीकरण सं., यदि लागू हो	
11	सहायक दस्तावेजों के साथ अनुभव/विशेषज्ञता का विवरण	

12	न्यायालय जहां एड्वोकेट/कानूनी फर्म नियमित रूप से प्रेक्टिस कर रहे हैं क) प्रेक्टिस की अवधि ख) प्रेक्टिस का क्षेत्र • व्यापार संबंधी मुद्दे • स्थापना/सेवा मामलों से संबंधित मुद्दे • संविदात्मक मामलों से संबंधित मुद्दे • वित्तीय मामलों से संबंधित मुद्दे	
13	ग्राहकों की संक्षिप्त सूची (विशेष रूप से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/आयोग/स्वायत्त प्राधिकरण)	
14	पिछले 5 वित्तीय वर्षों का आईटीआर	
15	प्रेक्टिस के क्षेत्र में हैंडल किए जाने वाले मामलों की संख्या	
16	क्या आपको कभी किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है? अगर हां तो कृपया विवरण दें	
17	क्या एड्वोकेट/कानूनी फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है (यदि हां, तो उसका विवरण दें)	
18	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न की जा सकती है)	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है। मुझे/हमें किसी भी बार काउंसिल द्वारा किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में कभी दंडित नहीं किया गया है। मैं/हम इस नोटिस में उल्लिखित सामान्य नियमों और शर्तों और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं एपीडा द्वारा सौंपे गए कार्य के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देता हूं। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मैंने/हमने

किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया/तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है या एपीडा के हित के विरुद्ध कोई कार्य या चूक की है, तो मेरे अनुबंध को बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

एड्वोकेट के हस्ताक्षर
(कानूनी फर्म के मामले में भागीदार)

पता:

स्थान:
दिनांक:

टेलीफोन नं.
मोबाइल नं.
ई-मेल

No. 26(1)/2014/judl.
Government of India
Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs
Judicial Section
*****

New Delhi the 1st October, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Revision of fee payable to various categories of Central Government counsel.

In partial modification to this Department's various OMs issued from time to time, the undersigned is directed to convey approval of Competent Authority for the revision of the fee structure applicable to Government counsels of all the categories with immediate effect as per the details given below:-

(A)

The Fee structure applicable to Group 'A' 'B' and 'C' panel Counsel in Supreme Court:-

Sl.No.	Item of work	Revised fee Group 'A' Panel Counsel	Revised fee Group 'B'& 'C' Panel Counsel
1.	All Regular Appeals and defended Writ Petitions(for final hearing)	₹13,500/-per case per day	₹ 9,000/- per case per day
2.	All defended Admission matters (SLP/TP and writ petitions & other misc. matters for admission)	₹ 9,000-per case per day	₹ 4,500/-per case per day
3.	Settling of pleadings	₹ 5,250/- per case	----
4.	Appearance in Miscellaneous Applications	₹ 4,500/-per case	----
5.	Conference	₹ 900/- per conference	----
6.	Out of Head quarter	₹ 13,500/- daily fee for the days of his absence from HQ	₹ 9,000/- daily fee for the days of his absence from HQ.
7.	Conveyance charges for performing local journey while outside Headquarter.	₹ 1, 500/-	₹ 1,500/-
8.	Clerkage	NIL	NIL
9.	Drafting SLP/Counter Affidavit/Rejoinder etc.	---	₹ 3,000/- per case
10.	Drawing Written Submission	---	₹ 3,000/- per case

11.	Drafting or Appearance in Miscellaneous Applications (including mentioning of the case/Caveat/Clearance/obtaining the number and taking date for hearing)	---	₹ 3,000/-per case

All other terms and conditions applicable to Group 'A', 'B' and 'C' Panel Counsel in Supreme Court in the pre-revised OM No. 21(04)/1999-Judl. dated 24.09.1999 read with OM No. 21(05)/ 2011-Judl. dated 01.10.2011 shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised.

(B)

The Fee structure applicable to Assistant Solicitors General of various High Courts, Central Government Standing Counsel of Delhi High Court (CGSC), Senior Central Government Standing Counsel (Sr. CGSC) of various Benches of CAT and Senior Panel Counsels in various High Courts/ CAT Benches (excluding the High Courts of Bombay and Calcutta) as per the following rates:-

Sl. No.	Item of work	Revised fee
1.	Retainer Fee of:- Assistant Solicitor General of various High Courts, Central Government Standing Counsel of Delhi High Court (CGSC) and, Senior Central Government Standing Counsel (Sr. CGSC) of various Benches of CAT .	**₹ 9000/- per month.**
2.	Suits, Writ Petitions and Appeals, including oral Applications for Leave to Appeal to Supreme Court in Writ Petitions.	**₹ 9000/-** per case per day of effective hearing in case of non-effective hearing **₹ 1500/-** per day subject to a maximum of 5 hearing
3.	Application for Leave to Appeal to Supreme Court in Writ Petitions.	**₹ 3000/-** per case
4.	Settling pleadings	**₹ 3000/-** per case
5.	Miscellaneous Application	**₹ 3000/-** per case
6.	Conference	**₹ 900/-** per conference subject to:- (i) for setting pleadings- one conference. (ii) In respect of hearing of Writ matters, Suits, appeals and Supreme courts leave applications etc- Three conference (Maximum)
7.	Miscellaneous and out of pocket expenses	As per actual to the satisfaction of the administrative Ministry/ Department.

All other terms and condition applicable to Senior Panel Counsels in various High Courts/ CAT Benches (excluding the High Courts of Bombay and Calcutta in to this Department's, OM No. 24(2)/99-Judl.,OM No. 26(1)/99-Judl., OM No. 25(3)/99-Judl., and OM No. 26(2)/99-Judl., all dated 24.09.99, read with OM No. 26(1)/2005-Judl. dated 31.01.2008 and OM No. 26(1)/2011-Judl., dated 01.10.2011, shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised.

(C)

Revision of the fee structure applicable to the Panel Counsel of High Courts as well as of CAT Benches of Bombay and Kolkata:-

Sl.No.	Item of Work	Special Counsel	Senior Counsel Group. I	Senior Counsel Group. II	Jr. Counsel Advocate on record
1.	Suits, Appeals, Writ /Revision Petitions including Special Civil Application in the High Court. Per conference/Consultation	₹ 9000 ₹ 900	₹ 6000 ₹ 750	₹ 3750 ₹ 600	₹ 1800 ₹ 450
2.	Application including Interim Motions, Notices, Appeals, Leave Application, Arbitration, Company Matters, Criminal Revision and other Land Acquisition References (per day per effective hearing) Per conference/Consultation	₹ 3000 ₹ 900	₹ 3000 ₹ 750	₹ 2250 ₹ 600	₹ 1350 ₹ 450
3.	Drafting or Settling Pleadings, and Affidavits (per pleadings) Per conference/Consultation	₹ 3000 ₹ 900	₹ 1800 ₹ 750	₹ 1500 ₹ 600	₹ 1050 ₹ 450
4.	Appearance before Arbitration and Tribunals, etc and Courts other than High Courts (Per day per effective hearing) Per conference/Consultation	₹ 7500 ₹ 900	₹ 6000 ₹ 750	₹ 3750 ₹ 600	₹ 2250 ₹ 450
5.	Chamber Application, including Adjournment Application per day inclusive of consultation	NIL	₹ 1500	₹ 900	₹ 600
6.	Written opinions and written advice including advice on evidence (inclusive of consultation)	₹ 3750	₹ 2250	₹ 1350	₹ 1050

All other terms and conditions applicable to the Counsels of High Courts as well as of the CAT Benches of Bombay and Kolkata in the pre-revised OM No. 23(2)/2001-Judl. & OM No. 22(02)/2001dated 14th July, 2001 read with 23(2)2011-Judl. dated 1st October, 2011 shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised:-

Note:- There will be no ceiling on the number of conference/ consultation in the case of Special Counsel, however in the case of other categories of Counsels, the number of conferences per cases will be limited to four (relaxable to six at the discretion of the Incharge (Litigation) of Branch Secretariat, Mumbai/Kolkata.

(D)

The Fee structure applicable for Panel Counsel, Delhi High Court and Central Govt. Counsel/ Pleader of various High Courts (including Panel Counsel of various CAT, Benches) excluding the High Courts of Bombay and Calcutta, as per the following rates:-

Sl.No.	Item of Work	Revised fee
1.	Civil or Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution, Contempt Petitions, Criminal/Civil Revision Petitions, Reference to the High Court under Sales Tax Act and Banking Company Petitions,	₹2250/- per effective hearing ₹450/- per non-effective hearing (subject to maximum of five hearings in a case)
2.	Original Suits, Civil Appeal from Decrees in Suits and proceedings including second appeal and land acquisition appeal except LPA from Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution (including drafting fee)	Ad. Valoram/regulation fee (subject to maximum of ₹ 45,000/- in a case.)
3.	Company Petitions	To be regulated by the rule contained in Appendix (iii) of the Company (Court) Rules, 1959
4.	Drafting of pleadings counter affidavits/returns/answer to Writ Petitions/Grounds of Appeal and application for leave to appeal to the Supreme Court	₹ 1,350/- per pleading
5.	Drafting of Civil Misc. applications to petitions under the Indian Succession Act, Contempt of Court proceedings and other proceedings of an original nature	₹1,125/- per petition
6.	Civil Misc. petitions, forma paupers, transfer petitions and other civil misc. petitions of routine nature	₹ 450/- per petition
7.	Consultation /conference fee	₹ 450/- per conference (subject to maximum of 4 conferences in a case)

8.	Appearance before the High Court in application under Section 34 & 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 Appearance before Arbitrator/Umpires etc.	₹2,250/- per effective hearing ₹ 450/- per non-effective hearing (subject to a maximum of 5 hearing in a case). ₹ 450/- per non-effective hearing (subject to a maximum of 5 hearings in a case).

All other terms and condition applicable to above mentioned Counsels in to this Department's, in OM No. 24(2)/99-Judl., OM No. 26(1)/99-Judl., OM No. 25(3)/99-Judl. and OM No. 26(2)/99-Judl, all dated 24.09.99 read with OM No. 26(1)/2005-Judl. dated 31.01.2008 and shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised.

(E)

The Fee structure Standing Govt. Counsel and Additional Standing Govt. Counsel in the District and Subordinate Courts:-

Sl.No.	Item of work	Revised fee
1.	Retainer fee for Standing Govt. Counsel	₹ **6000** per month
2.	Fee for effective hearing	₹ **1800** per day
3.	Fee for non-effective hearing	₹ **600** per day (not more than 5 such hearings in a case)
4.	Fee for drafting Written Statement, Grounds of Appeal etc.	₹ **1500** per pleading
5.	Fee for drafting other pleadings of misc. nature	₹ **600** per pleading
6.	Fee per Conference	₹ **900** (subject to maximum of 5 such conferences in a case / group of identical cases)
7.	Daily fee for out of Headquarters	₹ **2700** per day
8.	Conveyance charges for local journey outside Headquarters	₹ **900** (lump sum)
9.	Expenses for stay in hotels	₹ **1800** per day
10.	Clerkage	@ 10% of total fee excluding miscellaneous and out of pocket expenses (maximum ₹ **5250** in a case)
11.	Fee for identical Cases	Full fee in the 1st case and ₹ **750** in per suit for connected cases (max. 3 cases)
12.	Miscellaneous and out of pocket expenses	As per actual to the satisfaction of the administrative Department.

All other terms and conditions applicable to above mentioned Counsels in to this Department's, OM No. 27(11)/1999-Judl dated 24.09.1999 read with OM No. 27 (25)/2011-Judl. dated 01.09.2011. shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised.

(F)

The Fee structure applicable to Senior/Junior Arbitration Panel Counsel:-

Sl. No.	Details of work	Proposed Revised fee
1.	Fee for effective hearing	
	Senior Counsel	Rs. 2,250/- per appearance
	Junior Counsel	Rs. 1,500/- per appearance
2.	Fee for non-effective hearing	
	Senior Counsel	Rs. 450/- per appearance
	Junior Counsel	Rs. 300/- per appearance (maximum four such hearings)
3.	For drafting pleadings	
	Senior Counsel	Rs. 1,500/- per pleading
	Junior Counsel	Rs. 750/- per pleading
4.	Conference fee	
	Senior Counsel	Rs. 450/- per conference
	Junior Counsel	Rs. 300/- per conference (maximum three such conferences in a case)
5.	Daily fee out of Headquarters	
	Senior Counsel	Rs. 3,000/- per day
	Junior Counsel	Rs. 2,250/- per day

All other terms and conditions applicable to OM No. 30(3)/99-Judl. dated 24.09.99 read with OM No. 26(1)/2005/Judl. dated 31.01.2008, shall continue to remain applicable unless specifically revoked/revised.

2. The above revised fee will be effective from 01.10. 2015.

3. **The counsel will be paid fee at the old rates in respect of their appearance in the Court etc. and other work done by them prior to 01.10. 2015 and at the revised rates in respect of the work done by them on/ after 01.10. 2015.**

4. This issues with the approval of the Ministry of Finance, Department of Expenditure E.II(B) Branch, ID Note No.9 (11)/99-E.II(B) dated 02.03.2015 and 07.08.2015.

(Suresh Chandra)
Joint Secretary and Legal Adviser
Tele No. 23387806

Copy to:

1. All Ministries/Departments to the Government of India.
2. Incharge, Central Agency Section, Litigation (HC) Section, Litigation Lower Courts Section. All Groups-A, B & C panel counsel of Supreme Court through Incharge, Central Agency Section.
3. All Senior Panel Counsel of High Courts/ CATs through concerned Assistant Solicitors General in High Courts/ Sr. CGSC of CATs Benches.
4. All Assistant Solicitors General in various High Courts/ Sr. CGSC of CATs Benches.
5. All Central Government Standing Counsel/Central Government Pleaders of Delhi High Court.
6. All Asstt. Solicitors General/Central Legal Adviser of various High Courts.
7. All Senior Central Government Standing Counsel/Addl. Central Government Standing Counsel of various CAT Benches.
8. All Standing Govt. Counsel and Additional Standing Govt. Counsel before various District and Subordinate Courts as per the list.
9. All Senior/Junior Counsel of the Arbitration Panel.
10. All Special Counsel, Senior Counsel Group-I, Senior Counsel Group-II and Junior Counsel of High Courts as well as CATs Benches of Bombay and Kolkata through the concerned Incharge of Branch Secretariat of Bombay and Kolkata.
11. Incharge, Branch Secretariats Mumbai/ Kolkata/ Chennai/ Bangalore.
12. All Sections of Department of Legal Affairs.
13. Legal Advisor, Railway Board, New Delhi (with 5 spare copies).
14. Department of Personnel and Training (AT Section), New Delhi (with 5 s/copies.)
15. Joint Secretary (Legal), Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi (with 5 s / copies)
16. CBDT, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi (with 5 s / copies).
17. Branch Secretariats Mumbai/Calcutta/Chennai/Bangalore.
18. Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
19. Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi w.r.t. their ID Note No.9 (11)/99-E.II(B) dated 02.03.2015 and 07.08.2015..
20. DGS&D, New Delhi
21. NIC Cell with the request to upload the same in the website of this Department.
22. Judicial Section with 50 spare copies.
23. O.L. Section for Hindi translation.

Madhulika Upadhyay

(Madhulika Upadhyay)
Central Govt. Advocate
Tel. 23389006